

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या.: 01/2021  
GCMS Case Reg. 2021/5

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री शुभम जैन पुत्र श्री सुशील  
कुमार जैन जाति जैन, निवासी  
बाहुबली कॉलोनी तहसील व  
जिला बांसवाड़ा (राज)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक,  
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (विश्व  
बैंक), राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113,  
कार्यालय पी.डब्ल्यूडी, बांसवाड़ा।
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।
3. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28,  
29, 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land


Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013


प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

- उपस्थित: 1- श्री हेमेश कुमार जैन, - अधिवक्ता, प्रार्थीपक्ष  
2- श्री योगेश सोमपुरा, - अधिवक्ता विपक्षी सं.1  
3- सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा  
निर्णय

दिनांक :- 23.12.2021

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थी श्री शुभम जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन जाति जैन, निवासी बाहुबली कॉलोनी तहसील व जिला बांसवाड़ा का आवासीय भूखण्ड 1620 वर्गमीटर (17430 वर्गफीट) जो ग्राम बडगांव 'बी' राजस्व ग्राम बडगांव तहसील बांसवाड़ा व जिला बांसवाड़ा में स्थित है को प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र क्रमांक 2013002269 दिनांक 23.03.2013 से क्रय किया है। उक्त आराजीशुदा भूमि का सर्वे नंबर 1625/1131 रकबा 1.00 बिघा है। सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा ने आदेश क्रमांक एफ/राजस्व/ 2015/ 699-704 दिनांक 20.07.2015 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 प्रतापगढ से पाठि खण्ड किलोमीटर 80 से 180 तक भूमि आवाप्ति में आने वाली भूमि को अवाप्त किये



  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)


सम्बन्ध में अवार्ड जारी किया है। प्रार्थी की भूमि आवासीय भूखण्ड 1620 वर्गमीटर (17430 वर्गफीट) भूमि में से 9190 वर्गफीट भूमि सडक में जा रही है। जिस पर प्रार्थी द्वारा पक्का पराकोटा नीव से प्लीथ तक 5 फीट उचाई बाय 2 फीट चौड़ाई एवं प्लीथ से उपर 5 फीट उचाई एवं 1 फीट चौड़ाई एवं कुल लम्बाई 45 मीटर अर्थात 148.5 फीट बना हुआ था। उक्त परकोटे को गिराकर भूमि पर सडक निर्माण कार्य किया गया है। सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाडा द्वारा जारी अवार्ड में उक्त प्रश्नगत अवाप्त शुदा भूखण्ड साईज 9190 वर्गफीट भूमि का मुआवजा राशि उस समय की डीएलसी दर रुपया 225 प्रति वर्गफीट के अनुसार 20,67,750/- रुपये तय की गई जिसमें बाउण्ड्री वॉल की नुकसानी की गणना नहीं की गई है। भूमि एवं उस पर बने परकोटे का मुआवजा नियमानुसार अब तक प्रार्थीया को अदा नहीं किया गया है। इस कारण भूअवाप्ति की कुल कार्यवाही लेप्स हो चुकी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रावधान अनुसार प्रश्नगत भूमि 9190 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डीएलसी का दागुना करने पर मुआवजा रुपया 1,39,50,420/- होता है उक्त राशि पर 100 प्रतिशत तोषण राशि रु. 1,39,50,420/- होती है। इस प्रकार कुल रकम 2,79,00,840/- एवं परकोटा नुकसानी राशि रु. 3,00,000 इस प्रकार कुल रकम रु 2,82,00,840/- एवं अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित गणना कर अवार्ड परित कर मुआवजा दिलाने निवेदन किया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29, 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि वर्णित भूमि का अवाप्ति कार्य सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी बाँसवाडा द्वारा किया गया था। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1)




  
जिला कलक्टर  
बाँसवाडा (राज.)

के अधिन दिनांक 08.09.2012 भारत के राजपत्र में प्रकाशित भूमि की अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। अधिनियम की धारा 3 (क) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति के गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के उपरान्त अधिनियम की धारा 3 (ख) के अन्तर्गत आपत्तियाँ पेश करने की निर्धारित अवधि में प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। जिससे अवाप्ताधिन भूमि अधिनियम की धारा 3 (घ) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो पाई। प्रकरण में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (जी) 7 (2) के तहत धारा 3(क) की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 08.09.2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि की किमत का निर्धारण किया गया है। इसी आधार पर अवार्ड जारी किया गया है जो प्रावधानानुसार सही है। Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिला नगर परिषद के 15 किलोमीटर की परिधि में अधिगृहित होने वाली भूमि पर दुगुनी राशि एवं 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। उक्त आराजी भूमि का अवाप्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि ग्राम बडगाँव के खसरा नंबर 1625/1131 राष्ट्रीय राजमार्ग 113 के लिये भूमि अवाप्ति हेतु जारी 3ए व 3डी की अधिसूचना अनुसार अवाप्त नहीं हुई है। दस्तावेज में अंकित भूमि तहसीलदार बॉसवाडा की रिपोर्ट अनुसार मौके पर सडक सीमा में आ रही है। इस भूमि के अवाप्ति की कार्यवाही नहीं होने से अधिशाषी अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग बॉसवाडा को पत्रांक राजस्व/रा.रा./2018/916 दिनांक 24.03.2018 के द्वारा सीधे क्रय पद्धति द्वारा भुगतान के लिये राशि उपलब्ध कराने मांग भेजी गई है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वाद के साथ भूमि अवाप्ति के दस्तावेज संलग्न नहीं होने से अपील ग्राह्य नहीं है।

दिनांक 10-12-2021 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि श्री शुभम जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन जाति जैन, निवासी बाहुबली कॉलोनी तहसील व जिला बांसवाडा

  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

का आवासीय भूखण्ड 1620 वर्गमीटर (17430 वर्गफीट) जो ग्राम बडगांव 'बी' राजस्व ग्राम बडगांव तहसील बॉसवाडा व जिला बॉसवाडा में स्थित है को प्रार्थीया द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र क्रमांक 2013002269 दिनांक 23.03.2013 से क्रय किया है। उक्त आराजीशुदा भूमि का सर्वे नंबर 1625/1131 रकबा 1.00 बिघा है। सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बॉसवाडा ने आदेश क्रमांक एफ/ राजस्व/ 2015/ 699-704 दिनांक 20.07.2015 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 प्रतापगढ से पाडी खण्ड किलोमीटर 80 से 180 तक भूमि अवाप्ति में आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के सम्बन्ध में अवार्ड जारी किया है। सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बॉसवाडा द्वारा जारी अवार्ड में उक्त प्रश्नगत अवाप्त शुदा भूखण्ड साईज 9190 वर्गफीट भूमि का मुआवजा राशि उस समय की डीएलसी दर रुपया 225 प्रति वर्गफीट के अनुसार 20,67,750/- रुपये तय की गई जिसमें बाउण्ड्री वॉल की नुकसानी की गणना नहीं की गई है। भूमि एवं उस पर बने परकोटे का मुआवजा नियमानुसार अब तक प्रार्थीया को अदा नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रावधान अनुसार प्रश्नगत भूमि 6100 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डीएलसी का दागुना करने पर मुआवजा रुपया 1,39,50,420/- होता है उक्त राशि पर 100 प्रतिशत तोषण राशि रु. 1,39,50,420/- होती है। इस प्रकार कुल रकम 2,79,00,840/- एवं परकोटा नुकसानी राशि रु. 3,00,000 इस प्रकार कुल रकम रु 2,82,00,840/- एवं अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित गणना कर अवार्ड परित कर मुआवजा दिलाने निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) के अधिन दिनांक 08.09.2012 भारत के राजपत्र में प्रकाशित भूमि की अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। अधिनियम की धारा 3 (क) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति के गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के उपरान्त अधिनियम की धारा 3 (ख) के अन्तर्गत आपत्तियों पेश करने की निर्धारित अवधि में प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। जिससे अवाप्ताधिन भूमि अधिनियम की धारा 3 (घ) के




*M. K.*  
जिला कलेक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो पाई। प्रकरण में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (जी) 7 (2) के तहत धारा 3(क) की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 08.09.2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि की किंमत का निर्धारण किया गया है। इसी आधार पर अवार्ड जारी किया गया है जो प्रावधानानुसार सही है। Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिला नगर परिषद के 15 किलोमीटर की परिधि में अधिगृहित होने वाली भूमि पर दुगुनी राशि एवं 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आर्बिट्रेशन की परिधि में नहीं आने से श्रवणनीय नहीं होकर निरस्ती योग्य है। प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रश्नगत भूमि का अवाप्ति हेतु गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कथन किया गया कि ग्राम बडगॉव के खसरा नंबर 1625/1131 राष्ट्रीय राजमार्ग 113 के लिये भूमि अवाप्ति हेतु जारी 3ए व 3डी की अधिसूचना अनुसार अवाप्त नहीं हुई है। दस्तावेज में अंकित भूमि तहसीलदार वांसवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार मौके पर सड़क सीमा में आ रही है। इस भूमि के अवाप्ति की कार्यवाही नहीं होने से अधिशाषी अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग वांसवाड़ा को पत्रांक राजस्व/रा.रा./2018/916 दिनांक 24.03.2018 के द्वारा सीधे क्रय पद्धति द्वारा भुगतान के लिये राशि उपलब्ध कराने मांग भेजी गई है। भूमि अवाप्ति के दस्तावेज संलग्न नहीं होने से अपील निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, वांसवाड़ा अनुसार ग्राम बडगॉव के खसरा नंबर 1625/1131 राष्ट्रीय राजमार्ग 113 के लिये भूमि अवाप्ति हेतु जारी 3ए व 3डी की अधिसूचना अनुसार अवाप्त नहीं हुई है। चूंकि 3A व 3D की अधिसूचना अनुसार प्रश्नगत भूमि अवाप्त नहीं हुई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29, 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and




  
जिला कलेक्टर  
वांसवाड़ा (राज.)

Resettlement Act, 2013 निरस्त किया जाता है। तथापि अधिशासी अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग (विश्व बैंक) बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि सड़क निर्माण के दौरान सड़क सीमा में आई है तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 तथा इससे सम्बद्ध निर्धारित किये गए प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(अंकित कुमार सिंह)  
जिला कलेक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)